अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :–

अभिलेख संख्या :– 39/16-17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615 / रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयबद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेन्द्र कु० यादव वो अंचल निरीक्षक श्री धीरेन्द्र राय का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा कडुआ .... थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/78 दाग नं0 32 रकवा 00-10-00 किस्म परती कदीम श्री रामु रविदास पिता स्व० बैजु रविदास ... साकिन......के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री .... रामु रविदास को दिनांक...... समय ...... पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

(हस्ताक्षर) 2/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

29/7/16 अभिलेख उपस्थापित। रामु रविदास पिता स्व० बैजु रविदास उपस्थित। भूमि प्राप्ति से संबंधित बन्दोबस्ती केस नं० से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत। हल्का कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि बन्दोबस्ती प्राप्त भूमि पर दखल के संबंध में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन अगली तिथि के पूर्व समर्पित करें। अभिलेख दिनांक 4/8/16 को रखें।

(हस्ताक्षर) 29/7/16

अ० अ०

sandha

Scanned with CamScanner

3 5/8/16	अभिलेख उपस्थापित। राजू रविदास पिता केदु रविदास सहुलिया/ पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 11/8/16 को रखें। 5/8/16 अ0अ0
11/8/16	अभिलेख उपस्थापित। राजू रविदास उपस्थित। कागजात दाखिल किया गया है। हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन अप्राप्त। अभिलेख दिनांक 26.8.16 को रखें। 11/8/16
31/7/18 28/6/18	अभिलेख उपस्थापित। पुनः नोटिस निर्गत करें। अंचल अधिकारी महागामा।
19-08-2021	अभिलेख उपस्थापित। कोविड-19 के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया गया है। कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 26.08.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में भूमि से संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें। 19/8/2021 अंचल अधिकारी, महागामा।

Scanned with CamScanner

26/8/2021	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। रामू रविदास पिता- बौनु रविदास ग्राम - बसउआ के द्वारा हाजरी दी गयी। साथ ही साथ वर्णित भूमि से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन किया। अभिलेख दिनांक 02/09/2021 को रखें। 26/8/2021 अंचल अधिकारी, महागामा।
02-09-2021	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक - सह - प्रभारी अंचल निरीक्षक महागामा से प्रश्नगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार अवैध संदेहास्पद पंजी II रैयत को भूमि मौजा-बसउआ जमाबंदी नं०- 24 दाग नं०- 32 में से 00-10-00 धूर जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बन्दोबस्ती वाद सं०- 13/92-93 के माध्यम से रामू रविदास पिता- बौनु रविदास को प्राप्त हुआ है। वर्तमान में उक्त भूमि पर आवेदक का झोपड़ीनुमा मकान एवं सागवान तथा अन्य का पेड़ है एवं सपरिवार निवास कर रहे है। बंदोबस्तदार रैयत के द्वारा हाजरी के साथ कागजात समर्पित किया गया है।

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

07/9/2021

अंचल अधिकारी,
महागामा।

07/9/2021

अंचल अधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by RANJAN YADAV
Date: 2022.03.09 18:51:57 +05:30
Location: 192.168.134.28

Scanned with CamScanner